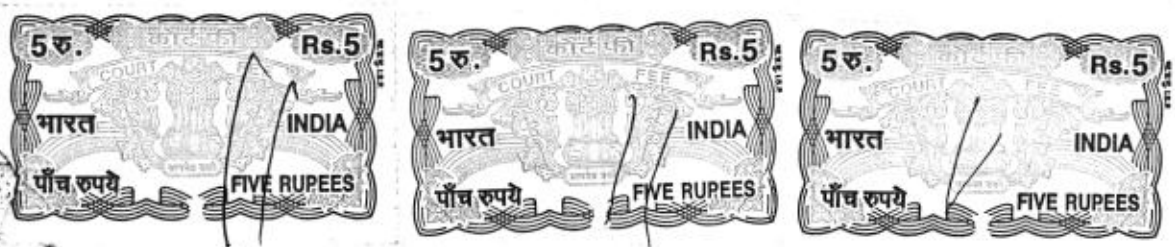

4

5 रु. Rs.5 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण

नि0/326 - PBR-15

श्री रविन्द्र सिंह राजपूत द्वारा दिनांक 9-2-15 को प्रस्तुत

09-2-15

रामचरन पुत्र स्व0 श्री कामताप्रसाद बरार, आयु-60 वर्ष व्यवसाय-काश्तकारी निवासी- ग्राम सांसन, तहसील भितरवार, परगना भितरवार, जिला ग्वालियर म0प्र0

---आवेदक

बनाम

9-2-15

1. कल्ली पुत्र श्री नारायणजू, जाति नाई, व्यवसाय- काश्तकारी, निवासी- ग्राम सांसन, तहसील भितरवार, परगना भितरवार, जिला ग्वालियर म0प्र0
2. म0प्र0 शासन --- अनावेदकगण

<u>पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 21/06/2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील भितरवार, परगना भितरवार जिला ग्वालियर, म0प्र0 के प्रकरण कमांक 14/2012-13/अ-12 व उनवान कल्ली</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्र०. निगरानी 326–पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–6–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 21–6–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमाकंन किया जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । सीमाकंन पंचनामें से स्पष्ट है कि सीमाकंन के समय आवेदक उपस्थित रहे है और सीमाकंन में उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित सीमाकंन आदेश में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	